तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.8.2020	पत्रावली अधिवक्ता उत्तरदातागण की ओर से पेश शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना-पत्र, बाड़मेर RAA का पद रिक्त होने के कारण प्रथम लिंक अधिकारी RAA जोधपुर के समक्ष जोधपुर मुख्यालय पर रखे जाने के फलस्वरूप पेश हुई। इस आशय के आवेदन-पत्र पर दिनांक 7/8/2020 को अपीलांट के अधिवक्ता श्री सुनील मेराजा को उनके मोबाईल नं० 9414356616 पर न्यायालय हाजा (बाड़मेर) के लेंड लाईन नंबर 02982-225050 से कॉल कर सूचित किया गया। उन्होने इस आशय की इत्तला दिये जाने पर काल पर ही वार्ता में जाहिर किया कि "मुझे सूचना मिल गई है" लेकिन मेरे पक्षकारों के गांव में कोरोना होने से इन्हे सूचना नहीं मिली अतः प्रार्थना-पत्र की प्रति नहीं ले सकता।" न्यायालय हाजा द्वारा पक्षकारों की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनवाई के रोज होने के बारे में कोई आदेश नहीं दिया इसलिए अधिवक्ता की उपस्थिति पर्याप्त होगी। अधिवक्ता अपीलांट की मंशा प्रार्थना-पत्र की कॉपी नहीं लेने बाबत सद्भावनापूर्वक नहीं है वह मामले में टालमटोल की नीति अपना रहे हैं, साफ जाहिर होता है। प्रकरण की सुनवाई की सम्यक एवं समुचित सूचना अधिवक्ता अपीलांट को हो चुकी है। आज पत्रावली सुनवाई हेतु मुताबिक आदेश मुकर्रर एवं सूचित दिनांक व मुख्यालय जोधपुर पेश होने पर वकील रेस्पाडेंट उपस्थित हुए। उन्होने न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया कि अपीलांट पक्ष में से / उनकी ओर से अभी तक कोई उपस्थित नहीं हुए हैं। अपीलांट पक्ष ने न्यायालय हाजा के आदेश की भी पालना नहीं की। उन्होने रेस्पाडेंट सं० 2 की फोटो	

P.T.O

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के परिणामस्वरूप उनके कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लेने के पश्चात् उनको नोटिस नहीं भिजवाए गए। न्यायालय हाजा ने इस पर दि. 19.2.2020 को रजिस्टर्ड A.D से सम्मन/नोटिस भिजवाने के आदेश दिये। इसके बावजूद भी नोटिस पेश होने पर रजिस्टर्ड A.D से भिजवाने की कोई कार्यवाही नहीं कर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना नहीं की है। लिहाजा अपील अदम पालना में खारिज की जावे। वैसे भी कानूनी प्रश्न और उल्लेखनीय है कि दि. 30.[illegible] को अपीलांट पक्ष ने एकपक्षीय स्थगन आदेश लिया इसलिए एकतरफा अस्थायी आदेश के मामले में नोटिस रजिस्टर्ड A.D से भिजवाकर तीन दिवस में पालना की पुष्टि बाबत पोस्टल रसीद पेश करनी होती है। न्यायालय समय तक पृथक-2 समय में पृथक-2 तीन बार आवाजें लगवाई गई फिर भी अपीलांट पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा अपील अपीलांट अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम पालना में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर	

Scanned by CamScanner